



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बानेश्वर कोहली वगैरह बनाम बुद्ध भोक्ता उर्फ कार्तिक सींगरा वगै०

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
09-02-18	<p>अभिलेख सं०-एम्...03.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>खेनाटाबु (राँचे कोहली)</u> के अप्राथमिकी सं०-80/17 दिनांक-28/12/17 परतुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>खेनाटाबु (राँचे)</u> थाना काण्ड सं०59/17 दिनांक 28-12-17 धारा 34), 323, 324, 307, 34 भा० द० वि० को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 09-02-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </p> <p align="center">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </p> <p align="center"> <u>पीछासीन पदाधिकारी बैंक में गए</u>  <u>लेने हेतु राँची में। दिनांक 16-02-18 को</u>  <u>रखें।</u> </p>	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
13-08-18	<p>आमिलेशन उपस्थापित । प्रथम पल क्रमांक 01 उपस्थित क्रमांक 02 अधिवक्ता हाजरी दितीय पल क्रमांक 01-उपस्थित क्रमांक 02, 03 अधिवक्ता हाजरी । प्रथम पल गवण अनुपस्थित । प्रथम पल गवणी हेतु दिनांक 07-09-18 को इतै ।</p> <p style="text-align: right;">१ 07/09/18</p>	
07-09-18	<p>आमिलेशन उपस्थापित । प्रथम पल अधिवक्ता हाजरी दितीय पल क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी ।</p> <p>उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है । अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में आमिलेशन की कारवाही बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; text-align: left;">०७/०९/१८ कार्यपालक दण्डाधिकारी पुण्ड (राज्यी)</span> <span style="display: inline-block; text-align: right;">०७/०९/१८ कार्यपालक दण्डाधिकारी पुण्ड (राज्यी)</span> </p>	